राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 16(12)चिशि/ग्रुप–1/2014 जयपुर, दिनांक 7 MAR 2017

आदेश

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन विभिन्न चिकित्सकीय विषय विशेषज्ञों को उनके धारित पदों का चिकित्सा शिक्षा विभाग में निम्नलिखित समकक्ष पदों पर समतुल्य प्रदान करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है, समतुल्यता निम्न प्रकार रहेगीः–

क.सं.	मूल विशेषज्ञ पद (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग)	चिकित्सा शिक्षा विभाग में समतुल्य पद
1.	प्रमुख विशेषज्ञ/सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ (पी.बी.–4 ग्रेड–पे–8700)	आचार्य
2.	वरिष्ठ विशेषज्ञ/सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ (पी.बी.–3–ग्रेड–पे–7600)	सह–आचार्य
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ/सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ (पी.बी.–3–ग्रेड–पे–6600)	सहायक आचार्य

उक्त समतुल्यता निम्न शर्तो के अध्याधीन होगीः–

1. समतुल्य होने वाले चिकित्सको का प्रशासनिक विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ही रहेगा, तथा इनको वेतन भत्ते आदि नियमानुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से पूर्व की भांति स्वयं की वेतन श्रृंखला में आहरित किया जाता रहेगा।
2. समतुल्य होने वाले चिकित्सको को उनकी मूल वेतन श्रृंखला में ही समतुल्यता प्रदान की जावेगी, इन चिकित्सको के स्वयं के मूल विभाग में लौटने पर स्वतः ही अपने मूल पदनाम से जाना जावेगा।
3. चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजो से सम्बद्व चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के Designated विषय विशेषज्ञों को समतुल्यता उपरान्त चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के समकक्ष पदों का कार्य करने यथा OPD/IPD/Units/OT/ICU में चिकित्सकीय, शिक्षण एवं रिसर्च कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
4. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के ऐसे चिकित्सक जो कि मेडिकल कॉलेज से सम्बद्व चिकित्सालयों में कार्यरत है, को DACP से पदोन्नति चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूर्ववत राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नियमानुसार की जाती रहेगी।
5. समतुल्यता के उपरान्त विषय विशेषज्ञों को एमसीआई कमेटी के निरीक्षण के दौरान एम.सी.आई. नियमानुसार Head Countable माना जा सकता है।
6. समतुल्यता के उपरान्त सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ के Designated चिकित्सक सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य/विभागाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन रहेगें।
7. राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जावेगा।

आज्ञा से,
(रोली सिंह)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा.मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा,जयपुर
6. निदेशक (जनस्वा) चि.एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज.जयपुर
7. रजिस्ट्रार, राज.स्वा.वि.वि., जयपुर
8. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
9. अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन) निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली

(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव